न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 106 / 2019

उनवान

हरिविलास पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. ओमप्रकाश पुत्र जयकिशन
3. विमला पत्नी ओमप्रकाश
4. भागीरथ पुत्र ओमप्रकाश
5. स्नेहलता पुत्री ओमप्रकाश
6. लक्ष्मी पुत्री ओमप्रकाश
7. गोविन्दनारायण पुत्र जयकिशन
8. ज्योति पुत्री शिवप्रसाद
9. दीनदयाल पुत्र जयकिशन
10. दीपिका पुत्री शिवप्रसाद
11. नरेश पुत्र रामगोपाल
12. नवीन पुत्र बालमुकुन्द
13. भगवती पुत्री जयकिशन
14. मुरलीधर पुत्र जयकिशन
15. महेश पुत्र बालमुकुन्द
16. रूपचन्द पुत्र शिवप्रसाद
17. राजेश पुत्र रामनिवास
18. रामनारायण पुत्र रामनिवास
19. शिवरतन पुत्र रामगोपाल
20. संगीता पुत्री बालमुकुन्द
21. सन्तोष पुत्री शिवप्रसाद
22. सुप्रिया पुत्री शिवप्रसाद
23. सुलेखा पुत्री शिवप्रसाद
24. रूकमणी पुत्री रामगोपाल
25. अजय पुत्र किशनगोपाल
26. अमित पुत्र किशनगोपाल
27. कैलाशचन्द पुत्र सांवरलाल
28. जगदीश पुत्र सांवरलाल
29. श्यामसुन्दर पुत्र सांवरलाल
30. चन्द्रप्रकाश पुत्र कल्याणमल
31. पवन कुमार पुत्र सांवरलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

32. विनोद कुमार पुत्र सांवरलाल
33. मुन्नी देवी पत्नी किशनगोपाल
34. विशाल पुत्र किशनगोपाल
35. विष्णुप्रकाश पुत्र सांवरलाल
36. विजय पुत्र किशनगोपाल
37. सीताराम पुत्र कल्याणमल
38. हरीश पुत्र रामनिवास समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दिलवाड़ा, पसीराबाद

--- प्रतिवादीगण – अनुपस्थित
1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 131/132 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 18.4.23

-: निर्णय :-

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाड़ा की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है :–

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
153	5–8–0	184	9–7–0	173	0.92
				173/1743	0.15
152	3–4–0				

चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023–26 में चौसाला खसरा नम्बर 153 रकबा 5–8–0 व 152 रकबा 3–4–0 की आराजी वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाते हुये हाल खसरा नम्बर 172/1743 को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा राजस्व मानचित्र में भी गलत तरमीम कर दिया। अतः राजस्व मानचित्र में तरमीम की जावे एवं आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 152, 153 के वंर्किग खसरा नम्बर 184 व हाल खसरा नम्बर 162, 164 व 173 है। हाल खसरा नम्बर 162, 164 व 173 हरविलास पुत्र रामगोपाल वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 से 38 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 38 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी [illegible] थी ?
[illegible] वादी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी व नक्शा दुरूस्ती के अधिकारी है?

— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी हरविलास के बयान दर्ज करवाये एव राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वाद पत्र में उपलब्ध चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 के अनुसार चौसाला खसरानम्बर 153 रकबा 5—8—0 व 152 रकबा 3—0—4 की आराजी वादी के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग खसरा नम्बर 184 रकबा 9—7—0 खाता संख्या 96/99 में वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 184 के हाल खसरा नम्बर 173 रकबा 0.92, 162 रकबा 0.32, 164 रकबा 0.46 व 173/1743 रकबा 0.15 बने है। खसरा नम्बर 162, 163 व 164 हाल राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 173/1743 रकबा 0.15 सिवायचक दर्ज है। किन्तु खसरा नम्बर 173/1743 वर्किग खसरा नम्बर 183 व 184 से मिलकर बना है। खसरा नम्बर 183 वादी बथवा पूर्वजों की खातेदारी में होने का कोई साक्ष्य व दस्तावेज वादी ने पेश नही किया है। अतः खसरा नम्बर 173/1743 रकबा 0.07 वादी की पुश्तैनी खातेदारी सिद्व होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। राज0 पैरोकार ने वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था किन्तु पूर्व इन्द्राज की पालना राजस्व कार्मिको द्वारा नही की गयी। वादी ने अपने वाद मे यह भी कथन किया है कि वंर्किग खसरा नम्बर 184 के हाल खसरा नम्बर नम्बर 173 रकबा 0.92, 162 रकबा 0.32, 164 रकबा 0.46 व 173/1743 रकबा 0.15 का मानचित्र त्रुटिपूर्ण कर दिया है। हल खसरा नम्बर के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173/1743 जो कि वंर्किग खसरा नम्बर 183 व 184 से मिल कर बना है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 183 व 184 के विपरित इन्द्राज कर खसरा नम्बर 173/1743 को गलत तरीके से अंकित कर दिया। अतः वादी हाल खसरा नम्बर 173/1743 रकबा 0.7 पर खातेदारी प्राप्ति व राजव मानचित्र दुरूस्त कराने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी सिद्व होती है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 173/1743 मिन रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 173/1743 मिन रकबा 0.07 का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 38 को धोषित किया जाता है। खसरा 173/1743 को राजस्व मानचित्र में वंर्किग मानचित्र अनुसार अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद [illegible] मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन [illegible] आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हरिविलास बनाम राज0सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131/132 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 106/2019
पेश करने की दिनांक – 12.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 173/1743 मिन रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 173/1743 मिन रकबा 0.07 का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 38 को घोषित किया जाता है। खसरा 173/1743 को राजस्व मानचित्र में वंर्किग मानचित्र अनुसार अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 04 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद